(ख) केन्द्र सरकार ने अभिनिर्धारित तीर्थ केन्द्रों/परिपथों के संबंध में राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोध पर निम्नलिखित योजनाएं/स्कीमें स्वीकृत की हैं :—

(लाख रु० में)

क्रम सं०	परियोजना/स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि
1.	भवन, जम्मू और कश्मीर में यात्री निवास	45.00
2.	कटरा और भवन, जम्मू और कश्मीर में तम्बू आवास	10.36
3.	कटरा, जम्मू और कश्मीर में तीर्थ शैड	18.75
4.	देवी माई, कटरा, जम्मू और कश्मीर में पर्यटक परिसर	15.90
5.	माता वैष्णों देवी, जम्मू और कश्मीर के लिए प्रचार सहायता	9.83
6.	विश्राम स्थली (रैन बसेरा), अजमेर, राजस्थान में तीर्थ शैड	10.28
7.	विश्राम स्थली (पक्का ढांचा), अजमेर, राजस्थान में तीर्थ शैड	24.38
8.	विश्राम स्थली, अजमेर, राजस्थान में जन सुविधाएं	8.48
9.	नन्द प्रयाग, उत्तर प्रदेश में तम्बू आवास	6.38
10.	हेलांग, उत्तर प्रदेश में पर्यटक गृह	10.41
11.	अगस्त मुनि, उत्तर प्रदेश में पर्यटक गृह	10.36
12.	वृन्दावन, उत्तर प्रदेश में तम्बू आवास	10.00

इन परियोजनाओं को स्वीकृत करने में भारत पर्यटन विकास निगम की कोई भूमिका नहीं है ।

गैर-सरकारी एयर टैक्सी आपरेटर द्वारा पुराने फाकर विमान के आयात में की गई अनियमितताएं

79. **श्री अजीत जोगी**
चौधरी हीरा सिंह } : **क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय को एक प्रमुख गैर-सरकारी एयर टैक्सी आपरेटर द्वारा एक पुराने फाकर यात्री विमान के आयात में की गई कुछ अनियमितताओं का पता चला है,

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस संबंध में अब तक कोई जांच कराई गई है, और

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले और ऐसे उपकरणों के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने के लिये दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ) मैसर्स कन्टीनेंटल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने न्यूजीलैंड से एक एफ-27 विमान के आयात के लिए नागर विमानन के महानिदेशक से अनुमति मांगी थी और विमान के निर्माण का वर्ष 1972 बताया । तथापि, जब विनिर्माता से तारीख की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया तो यह पता चला कि विमान के निर्माण का वर्ष 1961 था, न कि 1972 ।

विमान का उड़न योग्यता प्रमाण-पत्र तुरन्त वापस ले लिया गया और विमान के उड़ान भरने से मनाही कर दी गयी थी ।